



राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन  
ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन  
6 सरोजनी नायडू मार्ग, लखनऊ 226001

फोन : 91-522-4033444  
फैक्स 91-522-2237709

पत्रांक: 560/W-335/Tech/pond/15

दिनांक: 19 जून, 2015

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक  
उ०प्र० जल निगम,  
लखनऊ।

प्रबन्ध निदेशक,  
यू०पी० प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लि०,  
लखनऊ

मुख्य अभियन्ता,  
लघु सिंचाई विभाग,  
लखनऊ।

**विषय: राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के सस्टेनेबिलिटी मद में विभिन्न संस्थाओं द्वारा तालाब निर्माण के लिए प्राक्कलन विरचन हेतु दिशा-निर्देश।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या-539/W-335/Tech/15 दिनांक 12 जून, 2015 का संदर्भ ग्रहण करें। इस क्रम में दिनांक 16.06.2015 को अधोहस्ताक्षरी के अध्यक्षता में इस विषय पर श्री सी०के० त्यागी, मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, श्री पी०आर० चौरसिया, मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग तथा श्री पी०के० पाण्डेय, महाप्रबन्धक, यू०पी० प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लि० के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया गया तथा राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के सस्टेनेबिलिटी मद में विभिन्न संस्थाओं द्वारा तालाब निर्माण के लिए प्राक्कलन विरचन हेतु दिशा-निर्देश तैयार किये गये।

अतः उक्त दिशा-निर्देश संलग्न करते हुए आपको इस आशय के साथ प्रेषित किये जा रहे हैं कि तालाब निर्माण हेतु प्राक्कलन विरचन के समय उक्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाए।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(राम बहादुर)  
अधिशाली निदेशक

प्रतिलिपि:

संयुक्त सचिव, ग्राम्य विकास अनुभाग-5, उत्तर प्रदेश शासन को सूचनार्थ।

18.6.15  
अधिशाली निदेशक

o/c

Mahmet

## तालाबों का प्राक्कलन विरचित करने हेतु आवश्यक दिशानिर्देश

1. तालाब के प्रस्ताव अतिदोहित/क्रिटिकल विकासखण्डों के होने चाहियें तथा स्थल से सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित टी0सी0सी0 से अनुमोदित होना चाहिए।
2. कैचमेन्ट एरिया की गणना कन्टूर प्लॉन से करके योजना में संलग्न किया जाये।
3. योजना हेतु सर्वेक्षण कार्य टोटल स्टेशन से किया जाये।
4. तालाब की मिट्टी के खुदाई की मात्रा की गणना ग्रिड प्लॉन से की जाये एवं निर्मित किये जाने वाले बन्धे में यथासम्भव समायोजित किया जाये, जिससे मिट्टी के डिस्पोज़ल पर कम से कम व्यय आये।
5. तालाब की गहराई न्यूनतम 03 मी0 रखी जाये तथा मिट्टी की खुदाई का कार्य किनारों पर तदानुसार एंगिल ऑफ रिपोज के आधार पर किया जाये, जिससे मिट्टी का कटाव न्यूनतम हो। बन्धे और तालाब के किनारों पर 03 से 05 मी0 का बर्म बनाया जाये।
6. कैचमेन्ट एरिया इस प्रकार से होना चाहिए कि तालाब में सामान्य से 1/3 वर्षा होने पर भी तालाब पूरा भर जाये। भूजल रिचार्ज की गणनायें, तालाब की कैपासिटी की गणना एवं कैचमेन्ट एरिया से तालाब के स्टोरेज की गणना भी की जाये।
7. तालाब में इन्लेट, ऑऊटलेट एवं ऐनिमल घाट की स्पष्ट ड्रॉईंग लगाई जाये। तालाब का इन्लेट लेवल, ऑऊटलेट लेवल एवं बेड लेवल तालाब के साईट प्लॉन/क्रॉस सेक्शन पर अंकित किये जायें।
8. वृक्षारोपण का कार्य तालाब के किनारों पर अनिवार्यतः किया जाये।
9. प्राक्कलन बनाते समय अधिशासी अभियंता द्वारा निम्नलिखित सर्टिफिकेट दिया जाये:—

### Certificate by Executive Engineer

It is certified that the total station survey/contour survey in.....pond, village.....block.....district.....has been done properly and computation of earth work has been done correctly.

Singnature of EE

10. दरें अधीक्षण अभियंता द्वारा अनुमोदित हों और उन्हें वृत्त स्तर पर पर्याप्त चैकिंग के बाद अंतिम रूप दिया जाये। दरों के सम्बन्ध में अधीक्षण अभियंता का निम्न प्रमाण-पत्र संलग्न होना अनिवार्य है—

### Certificate by Superintending Engineer

It is certified that the rates taken in ..... pond, village..... block.....district.....has been taken from the schedule of rates/analysis of rates approved by the undersigned/prevalent in the district, which are correct.

Singnature of S.E

11. तालाबों का निर्माण कार्य कराने से पूर्व, निर्माण कार्य के मध्य तथा कार्यो को पूर्ण कराने के उपरान्त फोटोग्राफी एवं विडीयोग्राफी हेतु आवश्यक प्राविधान किया जायें।
12. प्राक्कलन में योजना से सम्बन्धित डिस्प्ले बोर्ड का प्राविधान किया जाये।